पत्रावली पेश हुई। पक्षकार/अधिवक्तागण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त/दौरे पर है/मीटिंग में है। तदनुसार कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक ____ को पेश हो।

28/07/2023 आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण
मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल पत्रावली हो। प्रार्थना पत्र स्वीकार
की प्रार्थना पत्र बाबत बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार
योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार की जाती है। विस्तृत
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल
पत्रावली किया गया। मुताबिक उक्त निर्णय तहसीलदार मुण्डावर
को निर्णय प्रति के साथ राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती हेतु इत्तलाम
जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार हो। नम्बर से कम
हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

त्र तारीख
हुक्म की
में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (RAS)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
30 / 2022	06.07.2022	28.07.2023

//उनवान//

1 पूजादेवी पुत्री दयानन्द पत्नि दिनेश कुमार जाति जाट निवासी बीरोद तहसील मुण्डावर हाल निवासी बेरवाल तह0 बावल जिला रेवाडी, हरि0।

2 आरती देवी पुत्री दयानन्द पत्नि रवीन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बीरोद तहसील मुण्डावर हाल निवासी बेरवाल तह0 बावल जिला रेवाडी, हरि0।

:– प्रार्थीयान

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर अलवर।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः– श्री अशोक चौधरी प्रथम – वकील प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक– 28.07.2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1014 / 0.01, 1015 / 1.14, 1019 / 0.78, 1033 / 0.16, 439 / 0.15, 504 / 0.06, 82 / 0.79, 83 / 0.76, 90 / 0.70, 91 / 0.01, 92 / 0.55, 93 / 0.01, 94 / 0.56, 552 / 0.04, 664 / 0.14, 963 / 0.47, 964 / 0.96, 626 / 0.38, 818 / 0.19, 86 / 0.48 है0 वाके ग्राम बीरोद तहसील मुण्डावर में स्थित होकर मिन प्रार्थीयान के पिता दयानन्द के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है तथा पिता के फौत होने पर जरिये विरासत आराजीयात हम प्रार्थीयान को प्राप्त हुई है जिस आराजी में हम प्रार्थीयान अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है तथा आराजी बाबत अन्य सहखातेदारान से कोई विवाद नहीं है इसलिए सहखातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। पिता की फौतगी के बाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा पिता की विरासत इन्तकाल दर्ज करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून मिन प्रार्थीयान को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रार्थीयान की अनुपस्थिति में मिन प्रार्थीया संख्या 1 का नाम रीना व मिन प्रार्थीया सं0 2 का नाम प्रियंका दर्ज कर दिया जो अंकन गलत है, जिस अंकन के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहने से मिन प्रार्थीयान आराजी का समुचित तरीके से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रही है इसलिए उक्त गलत अंकन काबिले दूरूस्त है। विवादित आराजीयात मिन प्रार्थीयान की पैतृक आराजी है एवं मिन प्रार्थीया सं0 1 व 2 के समस्त पहचान के दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटिंग लिस्ट इत्यादि में मिन प्रार्थीया सं0 1 का नाम पूजा व प्रार्थीया सं0 2 का नाम आरती दर्ज है मात्र उक्त राजस्व रिकॉर्ड में ही मिन प्रार्थीयान का नाम रीना व प्रियंका दर्ज है जो गलत है इसलिए रिकॉर्ड में दर्ज नाम प्रियंका व रीना को हजफ कर उसके स्थान पर मिन प्रार्थी सं0 1 का नाम पूजा देवी व प्रार्थीया सं0 2 का नाम आरती देवी दर्ज किया जाकर उक्त राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त फरमाये जावे के बाबत का निवेदन रहा।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित अदालत होकर जवाब सरकार की आवश्यकता नहीं है अंकित करते हुए हस्ताक्षर किए। प्रकरण के बाबत तहसीलदार मुण्डावर से मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर जरिये तहसीलदार मुण्डावर मौका रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है जिसके मुताबिक विवादित आराजीयात दयानन्द पुत्र श्योचन्द जाट सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड था जिसमें उनकी मृत्यु के बाद पत्नि कौशल्या देवी द्वारा शपथ व मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर ही दयानन्द के वारीसान के नाम विरासत इन्तकाल दर्ज किया गया है आदि–आदि अंकित कर प्रस्तुत होकर शामिल पत्रावली है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र की ताईद में नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 किता–6, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, हरियाणा परिवार पहचान पत्र की पृथक–पृथक छाया प्रतियां एवं सरपंच ग्राम पंचायत पलावा द्वारा दिनांक 06.07.2022 में जारी प्रमाण पत्र जिसके मुताबिक रीना का नाम पूजा एवं प्रियंका का नाम आरती होना एवं दोनों नामों से जानी जाती होना अंकित कर पेश होकर शामिल पत्रावली है इसी प्रकार प्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा 100–100 रुपये के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर नोटेरी द्वारा तस्दीक शपथपत्र पेश होकर शामिल पत्रावली है। उक्त शपथपत्रों के मुताबिक क्रमशः रीना उर्फ पूजा देवी एवं प्रियंका उर्फ आरती देवी दोनों हमारे ही नाम किसी अन्य महिला के नहीं आदि–आदि अंकित कर पेश होकर शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना के बाबत वकील प्रार्थीगण की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थीगण की पैतृक आराजी है तथा पिता की फौतगी पर पिता दयानन्द के अन्य वारीसान के साथ–साथ विरासत में प्राप्त हुई है तथा विरासत इंतकाल दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में प्रार्थीया सं0 1 का नाम रीना व प्रार्थीया सं0 2 का नाम प्रियंका दर्ज कर दिया जो गलत है जबकि प्रार्थीया सं0 1 का नाम पूजा देवी व प्रार्थीया सं0 2 का नाम आरती देवी है जो सही नाम है तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण के पहचान के समस्त दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदान पहचान पत्र एवं बैंक खाता में नाम अंकित है जिस हेतु नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 किता–6, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, हरियाणा परिवार पहचान पत्र की पृथक–पृथक छाया प्रतियां एवं सरपंच ग्राम पंचायत पलावा द्वारा दिनांक 06.07.2022 में जारी प्रमाण पत्र जिसके मुताबिक रीना का नाम पूजा एवं प्रियंका का नाम आरती होना एवं दोनों नामों से जानी जाती होना अंकित कर पेश होकर शामिल पत्रावली है इसी प्रकार ही प्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा 100–100 रुपये के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर नोटेरी द्वारा तस्दीक शपथपत्र पेश होकर शामिल पत्रावली है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र उक्त विवादित आराजीयात जो विरासत से प्राप्त आराजी है में अलग नाम अंकित हो गए है जिससे प्रार्थीगण आराजी का समुचित तरीके से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रही है अभिकथन करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त फरमाये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन किए जाने पर उपरोक्त विवेचन के आधार पर महत्वपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र को पूर्ण रूप से साबित कर दिए जाने की स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को महत्वपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित कर दिए जाने पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाए

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

जाने की स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 1014/0.01, 1015/1.14, 1019/0.78, 1033/0.16, 439/0.15, 504/0.06, 82/0.79, 83/0.76, 90/0.70, 91/0.01, 92/0.55, 93/0.01, 94/0.56, 552/0.04, 664/0.14, 963/0.47, 964/0 96, 626/0.38, 818/0.19, 86/0.48 है० वाके ग्राम बीरोद तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रार्थीया सं० 1 रीना पुत्री दयानन्द व प्रार्थीया सं० 2 प्रियंका पुत्री दयानन्द के नाम के अंकन को हजफ किए जाने के आदेश दिए जाते हैं एवं इनके स्थान पर प्रार्थीया सं० 1 का नाम पूजा देवी पुत्री दयानन्द व प्रार्थीया सं० 2 का नाम आरती देवी पुत्री दयानन्द के नाम का अंकन के किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। जिस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को उक्त निर्णय की प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **28.07.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

28-7-2023

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0